



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर, मारपीट व गाली गलौज करने वाले अभियुक्त को 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 15,000 रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- सी-1/06 धारा-323,324,504,भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामकुमार पुत्र टीकाराम नि० बीलपुर थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹15,000 के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री राजेश
कुमार तिवारी



विवेचक-
उ०नि० श्री हीरा
सिंह



पैरोकार- थाना जलालपुर
का० रवि कुमार